तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	पैरोकार सरकार का जवाब शामिल पत्रावली है। वकील वादी द्वारा [illegible] अभिभाषकगण से कोई अनुतोष नही चाहे जाने हेतु निवेदन किया। निवेदन जिसके हस्ताक्षर आदेशिका है। निवेदन स्वीकार किया। जिसका प्रार्थनापत्र ... बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 07/12/22 को पेश हो। SDO
07/12/22	अभिभावक मण्डल से कार्य स्थगित किया दिनांक 11/01/23 को पेश हो। रीडर
11/01/23	पत्रावली वास्ते आदेश प्रा० पत्र 212 हेतु पेश हुई। वकील वादी उप० पैरोकार सरकार उपस्थित। बहस के दौरान वादी वकील ने निवेदन किया कि पिछला रिकॉर्ड खातेदारी का है। संवत 2056 से पहले कोई नाला नहीं था। और ना ही कोई रास्ता भी। खाता जमाबन्दी में [illegible] नाला कर दिया।

APP-A
Crime-I

FROM No. III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

मुकाम ....

.... बनाम ....

मुकदमा .... नं............. सन्.............

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
काश्त योग्य भूमि है। इसकारण TDR को पाबन्द करने व बेदखल नही करने का निवेदन किया। वकीलवादी एवं पैरोकार सरकार की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। हाल आराजी सिवायचक दर्ज रिकॉर्ड है। साबिक आराजी गै०मु० नाला व गैर मुमकिन रास्ता दर्ज रिकॉर्ड है। प्रथम दृष्टया प्रकरण वादी के पक्ष में साबित नही होता है। जहाँ तक वादी के अधिकारों का प्रश्न है वे मूलवाद में तय किये जावेंगे। चूंकि प्रथम दृष्टया प्रकरण वादी के पक्ष में साबित नहीं होता है। तथा भूमि भू-प्रबन्ध 2020 से आदिनांक तक सिवायचक दर्ज रिकॉर्ड है। मौके पर नाला व रास्ता बना हुआ है। इसलिए वादी को अपूर्णीय क्षति होने का भी अंदेशा नही है। अतः प्रा०पत्र 212 RT Act नामाहेत में खारिज किया जाता है। पत्रावली	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो जमा की जावे। सेलान मुल्तवी हो। SDO